

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-नामापुर, परगना-बरैल थाना-वारिसनगर, थाना नं०-39 जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सोरमारहाट-हायाघाट तटबंध के 1.26 कि०मी० से 15.40 कि०मी० तक बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम नामापुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 5.98 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 4248, 3300, 3303, 3306, 3307, 3308, 3313, 3314, 3315, 3318, 3317, 3352, 3353, 3354, 3356, 3357, 3348, 3310, 3311, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3285, 3279, 3277, 3276, 3275, 3585, 3533, 3532, 3520, 3519, 3518, 3515, 3512, 3502, 3386, 3388, 3389, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3501, 3500, 3497, 3496, 3492, 3491, 3490, 3486, 3410, 3411, 3420, 3421, 3422, 3454, 3457, 3458, 3459, 3464, 3465, 3480, 3481, 3473, 3468, 3967, 3962, 3961 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 3301, 3302, 3316, 3513, 3387, 3484, 3455, 3456, 3483, 3482, 3467 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या 4248, 3300, 3303, 3306, 3307, 3308, 3310, 3296, 3285, 3280, 3279, 3277, 3276, 3275, 3385, 3393, 3388, 3389, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3420, 3421, 3422, 3384, 3457, 3458, 3464, 3465 है।

पूरब:- सीमा रेखा ग्राम भुसकौल।

दक्षिण:- अंश खेसरा सं० 4248, 3313, 3314, 3318, 3317, 3352, 3353, 3354, 3357, 3338, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3383, 3382, 3384, 3537, 3533, 3532, 3520, 3519, 3514, 3518, 3515, 3501, 3502, 3503, 3511, 3492, 3496, 3497, 3490, 3491, 3489, 3481, 3482, 3463, 3967, 3962 है।

पश्चिम :- सीमा रेखा सोरमार।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर। अपर समाहर्ता, समस्तीपुर। समाहर्ता, समस्तीपुर। सरकार के सचिव

28/4/13

ज्ञापांक/डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें। समाहर्ता, समस्तीपुर /आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्त।

~~सरकार के सचिव~~

~~ज्ञापांक/डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक.....~~

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

अनु:- यथोक्त।

6W
25/4/15
सरकार के अविश्व प्रमंडल